जनपद न्यायालय चित्रकूट

विज्ञप्ति

विज्ञप्ति सं० - 138 / I / जनपद न्यायालय चित्रकूट दिनांकित : 08.12.2022

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं0-14/ एडमिन (डी)सेक्शन, दिनांकित 15 अक्टूबर, 2022 के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, चित्रकूट द्वारा दीवानी न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति किये जाने के सम्बंध में एक समिति का गठन मा० जनपद न्यायाधीश के आदेश सं० 137/2022 दिनांकित 07.12.2022 के द्वारा किया गया है । समिति की बैठक आज दिनांक 08.12.2022 को आहूत की गयी, जिसमें प्रत्येक ग्रेड पे एवं वेतनमान में रिक्त पदों की संख्या के सन्दर्भ में प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अनुभाग जनपद न्यायालय चित्रकूट से आख्या प्राप्त की गयी, उक्त आख्यानुसार जनपद न्यायालय में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद निम्नवत हैं।

Vacancy in Class (III)

Sr. No.	Category of Post	Vacancies
1	Chief Administrative Officer	1
2	Administrative Officer	1
3	Head Assistant	1
4	Senior Assistant	8
5	Stenographer Grade-I	3
6	Stenographer Grade-II	2
	Total	16

Vacancy in Class (IV)

Sr. No.	Category of Post	Vacancies
1	Process Server	1
2	Part-Time Sweeper	2
	Total	3

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं0- 14 / एडमिन (डी) सेक्शन, दिनांकित 15.10.2022 के अनुपालन में जनपद न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से मूल पदों के सापेक्ष मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अवगत कराने के उपरांत पुर्ननियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होंगी:-

शर्तें

1- उक्त जनपद न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु 65 वर्ष पूर्ण न हुई हो।

2- पुर्ननियुक्ति एक बार में 01 वर्ष के लिए होगी अथवा उक्त पदों पर मूल या पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति होने तक अथवा जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूरी न कर ले।

3- उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसको पुनर्नियुक्ति प्रदान की जायेगी, को अंतिम आहरित वेतन जिसमें से पेंशन की राशि घटाई जायेगी, के सिद्धांतों के आधार पर वेतन की धनराशि देय होगी।

4- सम्बंधित कर्मचारी का पूर्व रिकार्ड और उसकी वार्षिक चरित्र पंजिका को ध्यान में रखते हुए उसे नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में यदि कोई जनपद न्यायालय का सेवानिवृत्त कर्मचारी तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर उपरोक्त निर्देश के अनुसार पुनर्नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक हैं तो वह 10 दिन के भीतर जनपद न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए तथा एक प्रति मा० उच्च न्यायालय को Official website पर प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित की जाए।

(दीपनारायण तिवारी)

08/12/22

अध्यक्ष,

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति समिति/

विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० कोर्ट

चित्रकूट

08.12.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -

1- **बाहय न्यायालय मऊ** चित्रकूट को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने न्यायालय के परिसर में नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवा देंगे ।

2- ग्राम न्यायालय मानिकपुर चित्रकूट को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने न्यायालय के परिसर में नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवा देंगे।

3- सिस्टम आफीसर, जनपद न्यायालय चित्रकूट को इस आशय से प्रेषित कि वह न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।

4- प्रशासनिक अधिकारी दीवानी न्यायालय से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचारीगण जिनकी आयु 65 वर्ष अभी पूर्ण नहीं हुई है, को दूरभाष से अवगत करायें।

5- केंद्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय चित्रकूट को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु ।

(दीपनारायण तिवारी)

अध्यक्ष,
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति समिति/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/ एस०टी० कोर्ट
चित्रकूट
08.12.2022

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं0 - 14 / एडमिन (डी) सेक्शन, दिनांकित 15.10. 2022 तथा विज्ञप्ति दिनांकित 08.12.2022 के अनुपालन में

__________________________.पद पर पुनर्नियुक्ति हेतु

आवेदन पत्र

आवेदित पद का नाम__________________________

आवेदित पद का नाम - __________________________

1- आवेदक का नाम-.__________________________

2- पिता/पति का नाम-__________________________

3- जन्म तिथि - ____________________(आयु 65 वर्ष से कम हो)

4- वर्तमान पता : __________________________

____

5- स्थायी पता : __________________________

____

6- शैक्षणिक योग्यता: __________________________

7 श्रेणी जाति : __________________________

8- मोबाइल नं०. : __________________________

9- सेवानिवृत्त का दिनांक- __________________________

10- फिटनेस प्रमाण पत्र - __________________________

11- पहचान पत्र - __________________________

(आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि)

घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उपरोक्त आवेदित पद पर पुनर्नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक हूँ। उपरोक्त अंकित तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं। इसका कोई अंश असत्य नहीं है, यदि कोई अंश असत्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। उसपर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

दिनांक -

स्थान -